

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-1344/पाँच-9-2026
लखनऊ: दिनांक 30-07-2026
कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1088/पाँच-9-2026-6(74)/94टी0सी0 दिनांक 21-07-2026 के द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम-1994 के अन्तर्गत गठित "राज्य समुचित प्राधिकरण" में डा0 कृति यादव, एम0डी0, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एण्ड चाइल्ड, 11 कृष्णा कालोनी, महानगर, लखनऊ के स्थान पर डा0 नीरू बंसल, द विजन, आगरा, बी-8 ए, न्यू आगरा, जनपद आगरा को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

2- उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली।
- (2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- (4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (5) विशेष सचिव, अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (6) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- (9) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- (10) प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- (11) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
- (12) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
- (13) डा0 नीरू बंसल, द विजन, आगरा, बी-8 ए, न्यू आगरा, जनपद आगरा।
- (14) गार्ड फाइल।

(रवि रंजन)
विशेष सचिव।